


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री नरेन्द्र सिंह रौतेला स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी	जनहित

श्री नरेन्द्र सिंह रौतेला, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री रौतेला का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1510 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/6/2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री नरेन्द्र सिंह रौतेला स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धारी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धारी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नरेन्द्र सिंह रौतेला को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी को इस आशय से कि, श्री रौतेला की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



(डा० अमय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री ऋषिपाल सिंह स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रपुर	जनहित


श्री ऋषिपाल सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1509 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/6/2024
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री ऋषिपाल सिंह स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री ऋषिपाल सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रपुर को इस आशय से कि, श्री सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री नवीन सिंह रावत स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि निदेशालय	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी	जनहित


श्री नवीन सिंह रावत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री रावत का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1508 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/6/2024
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री नवीन सिंह रावत स.कृ.अ.वर्ग-1, कृषि निदेशालय देहरादून।
- 2- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना अनुभाग, कृषि निदेशालय देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रावत को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त की कार्यवाही करना पूर्ण करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी को इस आशय से कि, श्री रावत की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी साइबर ट्रेजरी देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 8- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 9- गार्ड पत्रावली।


26/6/24
(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	डा० भावना बिष्ट स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	जनहित

डा० भावना बिष्ट, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। डा० बिष्ट का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1507 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/6/2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- डा० भावना बिष्ट स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार डा० भावना बिष्ट को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी को इस आशय से कि, डा० बिष्ट की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- गार्ड पत्रावली।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अफरोज अहमद स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धारी	जनहित


श्री अफरोज अहमद, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री अहमद का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1506 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/6/2024
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अफरोज अहमद स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अफरोज अहमद को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी को इस आशय से कि, श्री अहमद की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	डा० भारती सिंह स०क०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बाडेछीना	स्वयं के अनुरोध

डा० भारती सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। डा० सिंह का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1525 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/6/2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- डा० भारती सिंह स.क०अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार डा० भारती सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना को इस आशय से कि, डा० सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँरु मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सत्यपाल गंगवार स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़	मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर	स्वयं के अनुरोध

श्री सत्यपाल गंगवार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गंगवार का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

हथि-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1504 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/6/2024
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सत्यपाल गंगवार स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री गंगवार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर को इस आशय से कि, श्री गंगवार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

26/6/24
(डा० अमय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री नरेन्द्र सिंह मेहता स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पावौ	मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर	स्वयं के अनुरोध

श्री नरेन्द्र सिंह मेहता, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री मेहता का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1503 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/6/2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री नरेन्द्र सिंह मेहता स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पावौ।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पावौ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मेहता को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर को इस आशय से कि, श्री गंगवार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक कुमौरु मण्डल हल्द्वानी।
- 7- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 8- गार्ड पत्रावली।

26/6/24

(डा० अभय सक्सेना)


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का पारस्परिक स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	डा० नरेन्द्र सिंह स०कृ०अ०,वर्ग-1 (रसायन शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर	सहायक निदेशक मृ.परी.प्रयो.रूद्रपुर	पारस्परिक स्थानान्तरण
1	श्री नवीन चन्द्र जोशी स०कृ०अ०,वर्ग-1 (रसायन शाखा)	सहायक निदेशक मृ.परी.प्रयो.रूद्रपुर	मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर	

सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित कार्मिकों का पारस्परिक स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।




(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/1502 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/6/2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर/सहायक निदेशक, मृ०परी०प्रयो०रूद्रपुर।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर/सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार सम्बन्धित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- संयुक्त कृषि निदेशक कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 5- गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।